



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267454
CG-DL-E-07112025-267454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4883]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947

No. 4883]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

विषय: विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 तथा समय-समय पर किए गए उसके संशोधनों के आगामी चरणों के कार्यान्वयन को स्थगित करने के संबंध में।

का.आ. 5038(अ).— जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं.अ. 1896(ई), दिनांक 3 मई, 2024 द्वारा जारी *विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024* के अनुसरण में, तथा अधिसूचना सं.अ. 2007(ई), दिनांक 5 मई, 2025 द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के विस्तार की निरंतरता में, यह आदेश किया जाता है कि उक्त आदेश की सारणी में निर्दिष्ट सभी उत्पाद श्रेणियों की प्रवर्तन तिथि, अनुक्रमांक 1.1(क) में उल्लिखित तथा 10 नवम्बर, 2024 से पहले ही प्रवर्तित श्रेणियों को छोड़कर, आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

[फा. सं. 8(1)/2018-एचईआई- भाग (1)]
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट.- मूल आदेश, अर्थात् “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020” भारत राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. स.ओ. 4044(ई), दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत प्रवर्तन की समय-सीमा में विस्तार अधिसूचना संख्याओं स.ओ. 4492(ई), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021; स.ओ. 5083(ई), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022; तथा स.ओ. 2007(ई), दिनांक 5 मई, 2025 द्वारा प्रदान किया गया।

तत्पश्चात्, उक्त आदेश में संशोधन “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2023” अधिसूचना सं. स.ओ. 2132(ई), दिनांक 9 मई, 2023 तथा “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024” अधिसूचना सं. स.ओ. 1896(ई), दिनांक 3 मई, 2024 के माध्यम से किया गया था।

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
ORDER**

New Delhi, the 6th November, 2025

Subject: Deferment of upcoming phase implementation of the Electrical Equipment (Quality Control) Order 2020 and subsequent amendments from time to time-reg.

S.O. 5038(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in pursuance of the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024, published in the Gazette of India vide Notification No. S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024, and in continuation of the extension of timelines provided vide Notification No. S.O. 2007(E), dated the 5th May, 2025, the Central Government hereby orders that the date of enforcement for all product categories specified in the Table to the said Order except those mentioned at Sr. No. 1.1(a), which have already been implemented on the 10th November, 2024, shall stand deferred until further orders.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Note.- —The principal Order, namely, the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4044(E), dated the 11th November, 2020. Subsequent extensions in timelines were granted vide notification numbers S.O. 4492(E), dated the 18th October, 2021, S.O. 5083(E), dated the 28th October, 2022 and S.O. 2007(E), dated the 5th May 2025.

Further, the Order was amended through the Electrical Equipment (Quality Control) Amendment Order, 2023 vide S.O. 2132(E), dated the 9th May, 2023, and the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024 vide S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024.